न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2024 G.C.M.S. No. 2024/391 दर्ज दिनांक : 30.09.2024

अपीलार्थिगणः

1. हडुमानाराम उर्फ हनुमानाराम पुत्र तुलसाराम
2. कासुराम पुत्र तुलसाराम जातियान जाट, निवासी गण जाणियों की ढाणी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. ठाकराराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट, निवासी जाणियों की ढाणी, तहसील बागोड़ा जिला जालोर
2. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कृषि विकास शाखा, शाखा भीनमाल
3. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा पुनासा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बागोड़ा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर
5. श्रीमती कछु देवी पत्नी ठाकराराम
6. श्रीमती राजोदेवी पत्नी हीरकनराम जातियान जाट, निवासीगण जाणियों की ढाणी बागोड़ा, तहसील बागोड़ा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024

पैरोकारः–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

प्रकरण के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विभाजन खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 03 व 04 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जाणिया की ढाणी में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी खसरा संख्या 1283/1178 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म भूमि जाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रथम चाही, खसरा नम्बर 733 रकबा 3.94 हैक्टर किस्म भूमि चाही खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 1185 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म भूमि जाव दोयम चाही दोयम खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन ढाणी खसरा नम्बर 1189 रकबा 3.23 हैक्टर किस्म भूमि जाव दोयम चाही दोयम की आयी हुई है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का सयुक्त कब्जा है। राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि व हिस्सा बराबर आया हुआ है। अपीलांट बंटवारा नहीं करवा रहे है। उसके लिये 1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाकर दिलवाया जावे। जिस पर प्रकरण दर्ज कर पक्षकारान को तथा प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। दिनांक 19.01.2021 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश जारी किया गया तत्पश्चात् दिनांक 02.03.2021 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 30.07.2024 को अन्तिम डिक्री पारित की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी एवं न ही तहसीलदार महोदय व पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरक्षक द्वारा ही अपीलांट को प्रारम्भिक डिक्री की पालना में मौका निरक्षण से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई न ही मौका फर्द में इसका उल्लेख है कि विभाजन प्रस्ताव मनमाने तरीके से किया गया है। जिससे उपरोक्त विभाजन राजस्थान टेनेन्सी पार्टीशन रूल्स के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व भूमि के विभाजन के माध्यम से अन्तिम डिक्री पारित की जाती है तो कृषि भूमि के लगान की 20 गुणा राशि पर नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिये है उसे पेश किये जाने का आदेश किये जाने पर व स्टाम्प पेश किये जाने पर ही अन्तिम डिक्री पारित की जा सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा किसी प्रकार का स्टाम्प पेश किये बिना ही अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री अपास्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद खारिज किया जावे, विकल्प में निवेदन है कि प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.07.2024 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2021 को वादी व प्रतिवादी के माफिक राजस्व रेकर्ड रास्ते की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए सहखातेदारान के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउड्स विभाजन के प्रस्ताव हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 19.01.2023 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 86/2024 हडुमानाराम बनाम ठाकराराम में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2024 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अंतिम डिक्री व विभाजन प्रस्ताव सारवान रूप से प्राथमिक डिक्री के अनुक्रम में व उस पर आधारित होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से अंतिम डिक्री स्वतः प्रभाव शुन्य हो जाती है

3. प्राथमिक डिक्री अनुपालना में जिस पर सम्बंधित तहसीलदार द्वारा आई.एल.आर. व पटवारी से मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर पत्र क्रमांक भू.अ./2023/128 दिनांक 19.01.2023 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके का सत्यापन कर तैयार नहीं की गई है, बल्कि सम्बंधित हल्का पटवारी व भू. अभि. निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है, जिस पर तहसीलदार बागोड़ा द्वारा अपने प्रति हस्ताक्षर (counter signature) किये हुए है। यह भी दर्शित होता है कि उक्त मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। चूंकि अपीलार्थी को मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के वक्त उपस्थिति हेतु कोई नोटिस भी जारी किया जाना अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबधित सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सुचित किया जाना आवश्यक हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं करते हुए इसी अनुरूप अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2016 बअनवान ठाकराराम बनाम हनुमानाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में विधि अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरान्त प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर बागोड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली